

नरि्वरिोध चुनावी वजिय

प्रलिमिंस के लयि:

[लोक प्रतनिधित्व अधनियिम, 1951](#), [नोटा](#), [नयिम 49-O](#), [भारत का नरिवाचन आयोग](#), [सामान्य वत्तितीय नयिम](#), [भारत का सर्वोच्च न्यायालय](#), [राष्ट्रीय और राज्य सत्तीय दल](#)

मेन्स के लयि:

'नरि्वरिोध नरिवाचति होने' के परणाम, लोक प्रतनिधित्व अधनियिम, 1951, NOTA की प्रभावशीलता

[स्रोत : द हदि](#)

चर्चा में कयों

हाल ही में गुजरात के सूरत लोकसभा क्षेत्र से **भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)** के उम्मीदवार को [नरि्वरिोध नरिवाचति](#) घोषति कयिा गया है।

- यह अन्य उम्मीदवारों के नामांकन पत्रों की अस्वीकृति और अन्य उम्मीदवारों द्वारा नामांकन वापस लेने के बाद होता है।

वैध नामांकन के लयि आवश्यकताएँ कया हैं?

- [लोक प्रतनिधित्व अधनियिम \(RPA\), 1951](#) की **धारा 33** में वैध नामांकन की आवश्यकताएँ शामिल हैं।
 - 25 वर्ष से अधिक आयु का मतदाता भारत के कसिी भी नरिवाचन क्षेत्र से लोकसभा चुनाव लड़ सकता है।
 - उम्मीदवार का प्रस्तावक संबधति नरिवाचन क्षेत्र का नरिवाचक होना चाहयि जहाँ नामांकन दाखलि कयिा जा रहा है।
 - कसिी [मानयता प्राप्त दल \(राष्ट्रीय या राज्य\)](#) के मामले में, उम्मीदवार के पास एक प्रस्तावक होना आवश्यक है।
 - गैर-मानयता प्राप्त दलों और नरिदलीय उम्मीदवारों द्वारा खड़े कयिे गए उम्मीदवारों के लयि **दस प्रस्तावकों** की सदस्यता आवश्यक है।
 - एक उम्मीदवार वभिनिन प्रस्तावकों के साथ **अधिकतम चार नामांकन पत्र दाखलि कर सकता है**।
 - यह कसिी उम्मीदवार के नामांकन को स्वीकार करने में सक्षम बनाता है, भले ही नामांकन पत्रों का एक सेट क्रम में हो।
- RPA की **धारा 36** रटिर्नगि ऑफिसर (RO) द्वारा नामांकन पत्रों की जाँच से संबधति कानून नरिधारति करती है।
 - इसमें यह प्रावधान है कि RO कसिी ऐसे दोष के लयि कसिी भी नामांकन को अस्वीकार नहीं करेगा जो पर्याप्त नहीं है। हालाँकि, यह नरिदषिट करता है कि **उम्मीदवार या प्रस्तावक के हस्ताक्षर वास्तवकि नहीं पाए जाने पर अस्वीकृति का आधार है**।
- RPA, 1951 की **धारा 53 (3)** नरि्वरिोध चुनावों की प्रक्रयिा से संबधति है।
 - इस प्रावधान के अनुसार, यदि ऐसे उम्मीदवारों की संख्या भरी जाने वाली सीटों की संख्या से कम है, तो RO तुरंत ऐसे सभी उम्मीदवारों को नरिवाचति घोषति करेगा।
- RO की गतविधियिँ [अधनियिम की धारा 33](#) द्वारा शासति होती हैं, जो नामांकन पत्रों की प्रस्तुत और वैध नामांकन के लयि आवश्यकताओं से संबधति है।

सूरत लोकसभा क्षेत्र में नामांकन अस्वीकृति का कारण कया है?

- सूरत नरिवाचन क्षेत्र के लयि कॉन्ग्रेस पार्टी के उम्मीदवार ने नामांकन पत्र के तीन सेट दाखलि कयिे।
- BJP के एक कार्यकर्त्ता ने कॉन्ग्रेस पार्टी के उम्मीदवार पर आपत्तजिताते हुए आरोप लगाया कि उनके प्रस्तावकों के हस्ताक्षर वास्तवकि नहीं थे।
- RO को प्रस्तावकों से शपथ पत्र प्राप्त हुए जसिमें दावा कयिा गया कि उन्होंने नामांकन पत्र पर हस्ताक्षर नहीं कयिे थे।
 - चूँकि प्रस्तावकों को नरिधारति समय के भीतर RO के समक्ष प्रस्तुत नहीं कयिा जा सका, इसलयि नामांकन पत्रों के सभी तीन सेट खारज़ि कर दयिे गए।
- कॉन्ग्रेस पार्टी के स्थानापन्न उम्मीदवार का नामांकन भी इसी कारण से खारज़ि कर दयिा गया था।

- इससे BJP उम्मीदवार के नरिवरिध वजिता घोषति होना तय हुआ ।

नोट

भारत में 35 उम्मीदवार ऐसे हैं जो लोकसभा के लिये नरिवरिध चुने गए हैं । उनमें से अधिकांश स्वतंत्रता के बाद पहले दो दशकों में थे और आखिरी बार वर्ष 2012 में थे

संबंधति वधिकि प्रावधान क्या हैं?

- RPA, 1951 के साथ पढ़े गए संविधान के अनुच्छेद 329 (b) में प्रावधान है कि संबंधति उच्च न्यायालय के समक्ष चुनाव याचिका के अलावा किसी भी नरिवाचन पर प्रश्न नहीं उठाया जाएगा ।
- जनि आधारों पर ऐसी चुनाव याचिका दायर की जा सकती है उनमें से एक नामांकन पत्रों की अनुचित अस्वीकृति है । इसलिये उपलब्ध कानूनी सहायता गुजरात उच्च न्यायालय में चुनाव याचिका दायर करना है ।
- RP अधिनियम में यह प्रावधान है कि उच्च न्यायालय छह माह के भीतर ऐसे परीक्षणों को समाप्त करने का प्रयास करेंगे, जिसका अतीत में ज्यादातर पालन नहीं किया गया है ।
- चुनाव याचिकाओं का शीघ्र नसितारण सही दशा में एक कदम होगा ।

नरिवरिध नरिवाचन:

रटिरनगि अधिकारियों के लिये ECI की हैडबुक में कहा गया है कि यदि किसी नरिवाचन कषेत्र में केवल एक उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा है, तो उसे उम्मीदवारी वापस लेने की समय सीमा के तुरंत बाद नरिवाचति घोषति किया जाना चाहिये, और उस स्थिति में मतदान आवश्यक नहीं है । इसे नरिवरिध चुनाव कहा जाता है ।

नरिवरिध नरिवाचन में परणाम घोषति करने को लेकर क्या चतिाएँ हैं?

- लोकतांत्रकि नहितारथ:
 - नरिवरिध जीत प्रतसिप्रधी नरिवाचन प्रकरया के बिना नरिवाचति उम्मीदवारों की घोषणा की वैधता पर प्रश्न उठाती है, जो संभावति रूप से प्रतनिधित्व के लोकतांत्रकि सिद्धांत को कमजोर करती है ।
 - प्रणाली चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों का पक्ष लेती है, क्योंकि RPA पूर्ण बहिष्कार की अनुमति देता है, जिसके परणामस्वरूप सभी उम्मीदवारों को शून्य वोट मिलते हैं ।
 - यह लोकतंत्र के विचार का खंडन करता है और संभावति सुधारों पर प्रश्न उठाता है जैसे जीतने वाले उम्मीदवारों के लिये वोटों का न्यूनतम प्रतशित लागू करना या नरिवरिध सीटों को नामांकति व्यक्तियों को हस्तांतरति करना ।
- मतदाता सहभागति और वकिलप:
 - नरिवरिध चुनाव मतदाताओं की भागीदारी और पसंद को सीमित कर देते हैं, जिससे मतदाताओं को चुनावी प्रकरया के माध्यम से अपनी प्राथमकितार्थ व्यक्त करने का अवसर नहीं मिलता है ।
 - नरिवरिध चुनाव में वजिता तो होता है परंतु कोई "पराजति" पार्टी नहीं होती । जो लोग नयिमों के अंतर्गत खारजि कर दिये जाते हैं या स्वेच्छा से पीछे हट जाते हैं उन्हें प्रभावी रूप से चुनाव लड़ने के अवसर से वंचति कर दिया जाता है ।
 - यह प्रकरया मतदाताओं को उपरोक्त में से कोई नहीं (NOTA) वकिलप का प्रयोग करने की अनुमति नहीं देती है, जिसे मतदाताओं की धारणाओं के बारे में राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को "प्रबुद्ध" करने के लिये प्रयुक्त किया गया था ।
 - हालाँकि, NOTA वकिलप की "दंतहीन बाघ" के रूप में आलोचना की गयी है क्योंकि पिछले पाँच वर्षों में 1.29 करोड़ से अधिक वोट प्राप्त करने के बावजूद यह चुनाव प्रकरया को किसी भी सार्थक तरीके से प्रभावति नहीं करता है ।
 - ऐसे उदाहरण हैं जहाँ राजनीतिक दलों को NOTA से भी कम वोट मिले हैं ।
 - चुनाव आयोग का कहना यह है कि किसी भी नरिवाचन कषेत्र में सबसे अधिक वोट पाने वाले उम्मीदवार को अभी भी वजिता घोषति किया जाएगा, भले ही NOTA वोटों की संख्या कतिनी भी हो ।
 - हालाँकि, महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनावों के लिये NOTA को एक काल्पनिक उम्मीदवार के रूप में माना जाता है, और यदि NOTA को सबसे अधिक वोट मिलते हैं, तो ऐसी स्थिति में आयोग फरि से मतदान कराएगा ।
 - उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में चुनाव आयोग से उन नरिवाचन कषेत्रों में नए सरि से चुनाव कराने की याचिका पर जवाब देने को कहा, जहाँ NOTA को अधिकांश वोट मिले थे ।
 - चुनाव संचालन नयिम, 1961 के नयिम 49-O के अंतर्गत, मतदाता वोट देने से इंकार कर सकते हैं तथा इसके लिये पीठासीन अधिकारी को रकिॉर्ड पर टपिपणी करनी होगी ।
 - ऐसा वकिलप मतदाता को पार्टियों द्वारा खड़े किये जा रहे उम्मीदवारों के प्रत अपनी अस्वीकृति व्यक्त करने का अधिकार देता है ।
 - नयिम 49-O का प्रयोग करने वाले मतदाता और NOTA वकिलप का प्रयोग करने वाले मतदाता के बीच अंतर है ।
 - पूर्व के मामले में ऐसे मतदाता द्वारा अपनी गोपनीयता से समझौता करने की संभावना अधिक है, क्योंकि मतदान केंद्र पर व्यक्तगित रूप से पालन की जाने वाली प्रकरया होती है । हालाँकि, बाद वाले मामले में ऐसा कोई मुद्दा नहीं है ।

वत्तितीय नयिमों और चुनावी प्रकरया में समानता :

- सामान्य वृत्तीय नयम (GFRs) जो भारत के सार्वजनिक वृत्ति से संबंधित हैं, सार्वजनिक खरीद में नष्पिक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया की आवश्यकता पर जोर देते हैं।
- जबकि GFRs मानकीकरण या आपात स्थिति जैसे कुछ मामलों में 'एकल नविदा पृष्ठता' की अनुमति देते हैं, वे यह भी कहते हैं कि प्रतस्पर्धा की कमी केवल बोली लगाने वालों की संख्या से नरिधारित नहीं होनी चाहिये।
- यदि खरीद प्रयापत रूप से वजिजापति की गई थी और मानदंड अत्यधिक प्रतर्बिधात्मक नहीं थे, तो एक भी बोली को वैध माना जा सकता है।
- यह RPA, वर्ष 1951 के तहत अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के समान है जहाँ मतदाताओं को उपलब्ध विकल्पों में से चयन करना होता है। हालाँकि, यदि नरिवाचन क्षेत्र का प्रतनिधित्व करने के लिये केवल एक 'एकल बोलीदाता' (अर्थात उम्मीदवार) है, तो मतदाता को प्रभावी रूप से चयन प्रक्रिया से बाहर रखा जाता है।
- यह एक द्वंद्व उत्पन्न करता है, जहाँ बनिा वोट वाला उम्मीदवार संसद में पूरण नरिवाचन क्षेत्र का प्रतनिधित्व कर सकता है।

आगे की राह

- फरस्ट-पास्ट-द-पोस्ट (FPTP) प्रणाली में संशोधन:
 - FPTP प्रणाली को साधारण बहुमत प्रणाली के रूप में भी जाना जाता है। इस मतदान पद्धति में किसी नरिवाचन क्षेत्र में सबसे अधिक वोट पाने वाले उम्मीदवार को वजिता घोषति कया जाता है।
 - जबकि FPTP अपेक्षाकृत सरल है, यह हमेशा वास्तव में प्रतनिधि जिनादेश की अनुमति नहीं देता है, क्योंकि उम्मीदवार किसी चुनाव में आधे से कम वोट प्राप्त करने के बावजूद भी जीत सकता है।
- महत्त्वपूर्ण जनादेश के बनिा चुने जाने वाले उम्मीदवारों के मुद्दे को संबोधति करने के लिये जीतने वाले उम्मीदवार के लिये आवश्यक वोटों का न्यूनतम प्रतशित शुरु करने पर वचिार करना
- उम्मीदवारों की कमी को पूरा करना:
 - सीट को नामांकति श्रेणी में स्थानांतरति करने की संभावना का पता लगाइए, जहाँ यदि कोई उम्मीदवार खुद को चुनाव के लिये पेश नहीं करता है तो भारत के राष्ट्रपति नरिधारित योग्यता के अनुसार किसी व्यक्ति को नामांकति कर सकते हैं।
- NOTA विकल्प को मजबूत बनाना:
 - NOTA विकल्प को अधिक प्रभावशाली बनाने के तरीकों की जाँच की जानी चाहिये, संभावति रूप से इसे एक वैध वोट के रूप में मानकर और इसे सार्थक तरीके से चुनावी प्रक्रिया में शामिल करके, यह सुनिश्चति करते हुए कि मतदाता का असंतोष चुनाव परिणामों में परलिक्षति होता है।
- चुनाव याचिकाओं का शीघ्र नपिटान:
 - नामांकन अस्वीकृति या चुनावी वविादों के मामलों में दायर चुनाव याचिकाओं का त्वरति समाधान सुनिश्चति कीजयि।
 - उच्च न्यायालयों को समय पर न्याय वतिरण और जवाबदेही को बढ़ावा देते हुए छह माह की नरिधारित समय सीमा के अंतर्गत ऐसे परीक्षणों को समाप्त करने का प्रयास करना चाहिये।

दृष्टाभेन्स प्रश्न:

प्रश्न. नरिवरिोध चुनावी जीत के लोकतांत्रिक नहित्तिरथों का आकलन कीजयि, वशिष रूप से प्रतनिधित्व और मतदाता भागीदारी के संदर्भ में।

प्रश्न. भारतीय चुनाव प्रणाली में पहचानी गई चुनौतयिों जैसे नामांकन अस्वीकृति, प्रतस्पर्धा की कमी और मतदाता मोहभंग के समाधान के लिये सुधारों का प्रस्ताव रखयि।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

??????????:

प्रश्न. नमिनलखिति कथनों पर वचिार कीजयि: (2017)

1. भारत का नरिवाचन आयोग पाँच-सदस्यीय नकियाय है।
2. संघ का गृह मंत्रालय, आम चुनाव और उप-चुनावों दोनों के लिये चुनाव कार्यक्रम तय करता है।
3. नरिवाचन आयोग मान्यता-प्राप्त राजनीतिक दलों के वभिाजन/वलिय से संबंधति वविाद नपिटता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2
- (c) केवल 2 और 3
- (d) केवल 3

उत्तर: (d)

?????

प्रश्न. आदर्श- संहिता के उद्भव के आलोक में, भारत के निर्वाचन आयोग की भूमिका का वविचन कीजिये। (2022)

प्रश्न. भारत में लोकतंत्र की गुणता को बढ़ाने के लिये भारत के चुनाव आयोग ने 2016 में चुनावी सुधारों का प्रस्ताव दिया है। सुझाए गए सुधार क्या हैं और लोकतंत्र को सफल बनाने में वे किस सीमा तक महत्त्वपूर्ण हैं? (2017)

नोट

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/uncontested-electoral-victory>

